तार : निगम

दूरभाषः 0522–2202175, 2282916
फैक्स : 0522.2231517

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालयः 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 105 /2042– निविदा-0092 /19 दिनांक : 16 /01/2019

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियंता (क्षेत्र)
उ0प्र0 जल निगम,
आगरा/इलाहाबाद/गाजियाबाद/फैजाबाद/झाँसी/मुरादाबाद/कानपुर/लखनऊ/गोरखपुर/वाराणसी।

विषयः–उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/निकायों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 4848/9–5–2018–470सा/2018 दिनांक 10.12.2018 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उपरोक्त विषयक निर्देश परित करते हुये व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0पी0 शुक्ला)
मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

पृ0सं0 एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1. समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम।
2. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम।

मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

15/1/19 15-1-19

निविदा

मुख्य अभियंता (ग्रामीण) प्राप्ति संख्या 3579 दिनांक 11/12/1 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महत्वपूर्ण

संख्याः–4848/नौ–5–2018–470सा/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2032 18/12/18

33076 11-12-18

सेवा मे,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

CE (U/G/R/P) Director C&DS

प्रबन्ध निदेशक

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2018

विषयः– उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/निकायों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1067/78–2–2017–42आई0टी0/2017 दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है।

SE(RH)

CE(R) 11/12/18

2– उपर्युक्त के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–26/2017/2778/78–2–2017–97आई0टी0/2017–टी0सी0 दिनांक 05.09.2017, संख्या–1/2018/3070/78–2–2017–42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018, संख्या–5/2018/148/78–2–2018–42आई0टी0/2017 दिनांक 13.03.2018, संख्या–6/2018/256/78–2–2018–42आई0टी0/2017–टी0सी0 दिनांक 24.04.2018 एवं संख्या–10/2018/489/78–2–2018–42आई0टी0/2017–टी0सी0 दिनांक 26.07.2018 द्वारा प्रदेश के शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में कतिपय निर्देश जारी किये गये है।

3– उल्लेखनीय है कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन से निर्गत शासनादेश संख्या–1/2018/3070/78–2–2017–42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 **(प्रति संलग्न)** यह प्राविधान किया गया है कि "निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति हेतु आन लाइन व्यवस्था की गयी है। निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट्स/पे आर्डर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर प्राप्त ट्राजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रकिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट्स/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल

SO(R,) 18/12/18

रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जाये।''

4— अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि E-Tendering प्रक्रिया के अन्तर्गत मूल अभिलेख (Physical Copy) कार्यालय में जमा करने की अनिवार्यता नहीं है। तकनीकी तथा वित्तीय बिड्स खुलने के उपरांत ही आवश्यकतानुसार किसी अभिलेख का Physical प्रति माँगा जायेगा। विभाग के निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब—वर्क एवं सामग्री के क्रय में पारदर्शिता तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन से निर्गत उपर्युक्त वर्णित शासनादेशों के आलोक में शासनादेश संख्या—1/2018/3070/78—2—2017—42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 में प्राविधानित उपर्युक्त प्रस्तर—3 में उल्लिखित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—मिशन निदेशक (अमृत),नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2—मिशन निदेशक (एस0बी0एम0),नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3—मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन),नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4—निदेशक, नगरीय परिवहन, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5—निदेशक, उ0प्र0 नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
6—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7—निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8—अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
9—समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10—समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उत्तर प्रदेश।
11—समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
12—गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।